न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **669/2018**

प्रार्थीगण :–

1. कानाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवीस सांभरा
2. पदमाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी सांभरा
3. धनाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी सांभरा
4. अणसी देवी पत्नी हरजीराम जाति जाट निवासी सवाऊ पदमसिंह, हाल– सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. खेताराम पुत्र गेनाराम जाट
2. सोनीदेवी पत्नी भगवानाराम
3. हडमानराम पुत्र भगवानाराम
4. चनणाराम पुत्र भगवानाराम
5. ठाकराराम पुत्र भगवानाराम
6. रावताराम पुत्र वीरमाराम
7. पूनमाराम पुत्र भीकाराम के कायम मुकाम

7/1. लेहरोदेवी बेंवा पूनमाराम
7/2. सवाईराम पुत्र पूनमाराम
7/3. राणाराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट नि0 सवाऊ पदमसिंह
7/4. खेतु पुत्री पूनमाराम जाति जाट नि0 भोजासर
8. राणाराम पुत्र देदाराम
9. भवराराम पुत्र देदाराम
10. जीयो बेवा देदाराम
11. भलाराम पुत्र सिमरथाराम
12. अमरू बेवा सिमरथराम
13. मंगलाराम पुत्र पुरखाराम
14. धर्माराम पुत्र बेनाराम
15. बसंतसिंह पुत्र हरीराम
16. चन्दू पुत्री हरीराम
17. खेतु पत्नी हरीराम
18. खुमाराम पुत्र वेनाराम
19. धनाराम पुत्र वेनाराम
20. धुडी पत्नी वेनाराम जाति जाट नि0 सांभरा, पचपदरा
21. बाबूलाल पुत्र हेमाराम (फोरमल पक्षकार)
22. अमराराम पत्रु हेमाराम
23. प्रतापराम पुत्र हेमाराम सभी जातियान जाट निवासीयान सवाऊ पदमसिंह
24. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्

अधिवक्तागण :– 1.श्री अचलाराम थोरी प्रार्थीगण वकील

2.श्री रतनलाल चौधरी 1 ता 10 विप्रार्थीगण वकील

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

'आदेश'

दिनांक :– 30.09.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत सरहद मौजा सांभरा में कृषि भूमि खसरा संख्या 114 कुल रकबा 206–05 बीघा अवस्थित है। तदोपरान्त उक्त भूमि के तरमीम खसरान खसरा संख्या 203/114 रकबा 83–05 बीघा, खसरा संख्या 204/114 रकबा 83–05 बीघा, खसरा संख्या 202/114 रकबा 39–15 बीघा प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 23 के खातेदारी के बने जो वर्तमान में उनके नाम से दर्ज है।उक्त मूल खसरा संख्या 114 की खतौनियों तो विप्रार्थीगण के खाते की जुदा जुदा दर्ज हो गयी, मौके पर कब्जा काश्त भी माफिक खतौनी के रकबे के अनुसार कायम है तथा मौके पर पक्के रहवासीय घर, पानी के टांके, पशुओं के चारे बाडे इत्यादी बने हुए है जिसका उपयोग उपभोग सबंधित खातदेरान द्वारा बिना किसी रोक टोक के किया जा रहा है । राजस्व रेकर्ड में मूल खसरे के तरमीम दर्ज अंकित कर जुदा जुदा बना दी गयी किन्तु नक्शा लट्टा ट्रेस में कोई तरमीम अंकित नहीं हुई, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पत्थरगढी नाप नहीं करवा सकते क्योंकि खसरा संख्या 204/114 की कोई तरमीम लटटा ट्रेस में अंकित नहीं है । विप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 मौके पर कब्जा काश्त एवं आवगमन के बिन्दु को ध्यान में रखकर नक्शा लटटा ट्रेस में तरमीम दर्ज करने हेतु प्रार्थी के द्वारा निवेदन करने पर भी सहमत नही हुए क्योंकि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के मध्य अनरू खसरे के सबंध में प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है। इसलिये उक्त विप्रार्थीगण ने सहमति से तरमीम करवाने से इंकार कर दिया। ऐसी विषय परिस्थित में माफिक जमाबंदी खतौनी में दर्ज रकबे एवं मौके पर कब्जे, आवागमन के बिन्दु को ध्यान में रखकर माफिक खतौनी अनुसार तरमीम नक्शा लटटा ट्रेस में अंकित करवाने निवेदन किया गया ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 के वकील उपस्थित। दीगर विप्रार्थीगण को सम्मन बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित। नायब तहसीलदार पाटोदी व पटवारी सांभरा ने दिनांक 24.5.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार खसरा संख्या 114 की मौका स्थिति एवं पूर्व में प0ह0 द्वारा दिनांक 23.11.81 को जारी प्रतिलिपि अनुसार खसरा संख्या 114 में तरमीम कर नवीन खसरा संख्या 202/114, 203/114 व 204/114 को नक्शा लट्ठा ट्रेस में अंकन किया गया । जिस पर वकील प्रार्थी ने दिनांक 14.6.2022 प्रार्थना पत्र हेतु मौके वास्तविक रिपोर्ट तलब कर नक्शा ट्रेस में दर्ज वर्तमान तरमीम को दुरूस्त करने का पेश किया गया । जिस पर पुनः मौके की रिपोर्ट हेतु तहसीलदार पचपदरा को तहरीर जारी की गयी। उप तहसीलदार पचपदरा से कमांक/भू.अ/2021/2022/1827 दिनांक 16.9.22 को मौका रिपोर्ट में जाहिर किया की उक्त आराजी मे संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार वर्तमान में तरमीम की हुई है, एंव मौका स्थिति संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार कब्जा काश्त

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 ने मौका रिपोर्ट पर सहमति जाहिर कर रेकर्ड दुरूस्त करवाने में अनापति पेश की गयी।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 की बहस सुनी गई व तहसीलदार पचपदरा व उप तहसीहलदार पाटोदी, हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट व पत्रावली मे प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया, बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थीगण के खातेदारी खेत कब्जा काश्त तरमीम मौके पर कायम कब्जे, रहवासीय ढाणी पानी के टांके पशुओं के बाडे व आवागमन के बिन्दु को ध्यान में रखकर माफिक खतौनी संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार नक्शे में दुरूस्त किया जाता है, तो विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नहीं है । अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

बाद गौर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा मौजा सांभरा में अवस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 114 कुल रकबा 206–05 बीघा अवस्थित है। तदोपरान्त उक्त भूमि के तरमीम खसरान खसरा संख्या 203/114 रकबा 83–05 बीघा, खसरा संख्या 204/114 रकबा 83–05 बीघा, खसरा संख्या 202/114 रकबा 39–15 बीघा की वर्तमान लटटा ट्रेस नक्शा में दर्ज तरमीम को दुरुस्त कर तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा मौका रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम शुद्वि करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिए जाते है । परिशिष्ट 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

(नरेश सोनी)
भूअभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भूअभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा